रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222780
CG-DL-E-28102020-222780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2020/कार्तिक 6, 1942
No. 314] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

सं.केंसकबो-12/198/2017-केंसकबो.—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 28.08.2020 के क्रम में, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड(कें.स.क.बो.) के कार्यकारी निदेशक पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियम की प्रति संलग्न हैं।

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक प्रति सभी संबंधित को परिचालित कर दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सामान्य सूचना हेतु भारत के असाधारण-राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एम. इमकोंगला जमीर, संयुक्त सचिव

कार्यकारी निदेशक पद के लिए संशोधित भर्ती नियम

क्र.सं.	विवरण		ब्यौरा
1	पद का नाम	:	कार्यकारी निदेशक
2	पदों की संख्या	:	1 (एक)
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप 'ए' गैर-लिपिकवर्गीय

4.	वेतनमान	:	रू. 37400-67000+8700 (ग्रेड वेतन) (छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित) (रूपये 14,300-400-18,300 (पूर्व संशोधित)
5.	पद चयनित है या गैर चयनित	:	चयनित
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं (अभ्यर्थी, जो प्रतिनियुक्ति/अल्प कालिक संविदा पर इस पद के लिए आवेदन करेंगे, उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)
7.	क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1672 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है	:	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं
9.	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी	:	लागू नहीं
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	:	लागू नहीं
11.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प-कालिक संविदा सहित)/ पदोन्नति द्वारा
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में	:	क) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक आयोग/पीएसयू/स्वायत्त निकायों के अधिकारी क.(1) जो नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों, या (2) वेतनमान रूपए 12000-375-16500/- (पूर्व संशोधित वेतन) या ग्रेड वेतन रूपए 15,600-39,100/-7600 (संशोधित वेतन) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और ख). जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव हैः **अनिवार्यः** 1) स्नातक डिग्री 2) केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार/किसी अन्य सरकारी संगठन/पीएसयू/स्वायत्त निकाय में प्रशासन और स्थापना संबंधी मामलों में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्रबंधकीय पद का हो,

			वांछनीय: सामाजिक क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों, वंचित और कमजोर वर्गों के लिए कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव **ख) पदोन्नति** केंसकबो के संयुक्त निदेशकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने ग्रेड वेतन रूपये 7600/- में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर 5 वर्ष या अधिक की सेवा की हो. **टिप्पणीः** प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग (एक्स कैडर) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी। II) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। {आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)}
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	:	छानबीन एवं चयन समिति निम्न प्रकार होगी। i) सचिव, म.बा.वि.मं - अध्यक्ष ii) अध्यक्ष, कें.स.क.बो. - सदस्य iii) वित्तीय सलाहकार, म.बा.वि.मं. -सदस्य IV) संबंधित संयुक्त सचिव, म.बा.वि.मं. -सदस्य V) बाहरी विशेषज्ञ जिन्हें संबंधित मामलों का समुचित अनुभव हो और जो अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हों। -सदस्य
14	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2020

No.CSWB-12/198/2017-CSWB.—In continuation to this Ministry's notification of even number dated 28.08.2020, the Recruitment & Promotion Rules in respect of Executive Director of Central Social Welfare Board (CSWB) is attached herewith.

ORDERED that a copy of the notification be communicated to all concerned.

ORDERED also that the notification be published in the Extra Ordinary Gazette of India for general information.

M. IMKONGLA JAMIR, Jt. Secy.

Revised Recruitment Rules for Executive Director, CSWB

Sl. No.	**Particulars**	**:**	**Details**
1.	Name of Post	:	Executive Director
2.	No. of Posts	:	01 (One)
3.	Classification	:	Group A, Non-Ministerial
4.	Scale of Pay	:	Rs. 37,400-67,000 with grade pay of Rs. 8700/- (Revised as per VI Pay Commission) Rs. 14,300-400-18300(Pre-revised)
5.	Whether selection post or non-selection post	:	Selection post
6.	Age limit for direct recruits	:	Not Applicable (Note:- Candidates who apply for the post on deputation/Short-Term Contract, should not be more than 50 years of age)
7.	Whether benefit of added years of services admissible under rule 30 of the CCS (Pension Rules, 1972).	:	Not Applicable
8.	Eligibility and Educational & other qualifications required for direct recruits.	:	Not Applicable
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	:	Not Applicable
10.	Period of probation, if any	:	Not Applicable
11.	Method of recruitment whether direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various method	:	Deputation (including Short-term Contract)/Promotion
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer/deputation to be made	:	**A) Deputation (Including short term contract)** Officers under the Central/State Governments/Statutory Commissions/ PSUs/ Autonomous Bodies under the Central/State Govts/UTs A- (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) With five years regular service in posts in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- (Pre-revised pay) or pay band of Rs. 15,600-39,100/- with grade pay of Rs. 7600/- (revised) or equivalent, and b. Possessing the following educational qualifications and experience.

			Essential i) Graduate degree ii) Ten years experience in administration and establishment work, out of which at least two years should be in a managerial position, in Central Government/ any other Government Organization/Public Sector Undertaking/Autonomous body under Central/ State Government/Union Territory. **Desirable** Five years experience in the field of social sector, especially women and children, disadvantaged and vulnerable groups etc. **B) Promotion:** Joint Directors of CSWB with regular service of five years or more in the grade pay of Rs. 7600/- **Note:** 1. Period of Deputation/Contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department in Central Government/State Government shall ordinarily not exceed five years. 2. The maximum age limit for deputation including short term contract shall be 50 years as on closing date of receipt of application prescribed. {The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)}.
13.	If a DPC exists, what is its composition	:	Search cum Selection Committee constituted as under i) Secretary, MWCD -Chairperson ii) Chairperson, CSWB -Member iii) Financial Adviser, MWCD -Member iv) Joint Secretary concerned, MWCD - Member v) An outside expert of appropriate status & eminence in the field -Member
14.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	:	Not applicable

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.10.26 16:26:55 +05'30'